न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : आर0के0 जैन
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 2245–II/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–9–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 360/अपील/2003–04.

....

श्री संसारी तनय फेरऊ पटेल
निवासी ग्राम माल थाना गढ़, तहसील सिरमौर
जिला– रीवा म.प्र.

——अपीलार्थी

विरूद्ध

1. श्री त्रिवेणी प्रसाद तनय श्री रामसहाय केवट
2. श्री लालमणि तनय फेरऊ पटेल
दोनों निवासी ग्राम माल थाना गढ़, तहसील सिरमौर
जिला– रीवा म.प्र.

—— प्रत्यर्थीगण

श्री डी0एस0 चौहान, अभिभाषक आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक अनावेदक कं 1

:: आ दे श ::
(पारित दिनांक 23.04.2019)

यह अपील द्वारा भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत अधिनियम, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) के अंतर्गत अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–9–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ इस प्रकरण में नामांतरण आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। इस न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से यह तृतीय अपील प्रस्तुत की गई है। संहिता में तृतीय अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान नहीं है। पूर्व में दिनांक 05–7–07 को यह प्रकरण निगरानी मानकर ग्राह्य किया गया था। इसलिए न्यायहित में इस अपील प्रकरण का निराकरण गुण–दोष पर किया जा रहा है।

3/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी कमांक 1 त्रिवेणी द्वारा काम माल तहसील सिरमौर की आराजी खसरा कमांक 513 रकबा [illegible] 39 एवं 514 रकवा 123 एकड़ भूमि रूपये 1,80,000/– जरिये पंजी[illegible]

विकय पत्र के माध्यम से दिनांक 21–3–03 को कय किया तथा विकय पत्र के आधार पर तहसीलदार सिमौर के आदेश दिनांक 30–4–03 से नामांतरण भी कर दिया गया। उक्त नामांतरण आदेश के विरूद्ध आवेदक संसारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 19–3–04 से तहसीलदार का नामांतरण आदेश निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 ने अपर आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 23–9–2005 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया तथा अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण तहसीलदर सिरमौर को सूक्ष्म जांच एवं हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुये नामांतरण की कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी कमांक 2 सगे भाई हैं। प्रत्यर्थी कमांक 1 ने प्रत्यर्थी कमांक 2 से भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की है। प्रत्यर्थी का नामांतरण भी तहसील न्यायालय से हो चुका था। अनुविभागीय अधिकारी ने नामांतरण कार्यवाही में हितधारी व्यक्तियों को सूचना नहीं दिये जाने एवं नामांतरण की प्रकिया विधि विपरीत मानकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया। किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने पूर्व अनुसार राजस्व रिकार्ड में संसारी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश देने में त्रुटि की है। इसी कारण जब अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तब अपर आयुक्त ने विधिवत हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुये नामांतरण की कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित किया है। इस प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से प्रत्यर्थी कमांक 1 द्वारा कय की गई है ऐसी स्थिति में पूर्वानुसार संसारी का नाम दर्ज करने के आदेश को उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब किसी भूमि पर किसी व्यक्ति को विकय उपरांत स्वत्व का अंतरण हो जाता है तब पूर्व भूमिस्वामी का नाम दर्ज करने का आदेश त्रुटिपूर्ण है। इसी

कारण अपर आयुक्त ने अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देकर नामांतरण करने के आदेश देने में कोई अवैधानिकता अथवा अनिमितता नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–9–2005 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। अपील निरस्त की जाती है।

3/3

(आर0के0 जैन) 23/4/19
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर

(3)